न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला जांजगीर–चांपा छ.ग.

(पीठासीन–गणेश राम पटेल)

CNR No.–CGJC010018262026

सत्र प्र0 क्रं0 92/2026

आयुष रात्रे वल्द अयोध्या रात्रे, आयु–18 वर्ष
निवासी–डुड़गा, थाना–पामगढ़
जिला–जांजगीर–चांपा(छ.ग.) ....**आवेदक/आरोपी**

– बनाम –

छ.ग. शासन,
द्वारा – आरक्षी केन्द्र पामगढ़
जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) ....**अभियोजन**

छ.ग.शासन वि0 निखिल टंडन व 07 अन्य में जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

आदेश
(दिनांक 21.08.2026 को पारित)

(1) इस आदेश के द्वारा आरोपी आयुष रात्रे की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का निराकरण किया जा रहा है।

(2) आवेदक/अभियुक्त की ओर से उपर्युक्त आवेदन पत्र पर यह निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है । उसे पुलिस के द्वारा जानबूझकर प्रकरण में संयोजित किया गया है । थाना पामगढ़ के द्वारा अज्ञात चार व्यक्तियों के नाम पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है । प्रथम दृष्टया उसके विरूद्ध अपराध कारित करना स्पष्ट नही होता है, इसलिए उसे जमानत का लाभ दिये जाने योग्य है । आवेदक/अभियुक्त का इस अपराध के अतिरिक्त सामान्य प्रकृति का चार और प्ररण पुलिस के द्वारा बनाया गया है जिसमें

सभी में अज्ञात व्यक्ति के नाम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया है । जिसका सत्र प्र.क्र. 89/2026, 90/2026, 91/2026, 93/2026 है, जो माननीय न्यायालय के समक्ष संचालित है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई अपराध किसी भी थाने में अथवा न्यायालय में अपराध पंजीबद्ध होकर संचालित नही किया गया हे और न ही लंबित है और न ही निराकृत किया गया है ।

(3) आवेदक/अभियुक्त की ओर से आगे निवेदन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त ग्राम डुडगा थाना पामगढ जिला जांजगीर–चांपा छ.ग. का स्थायी निवासी है, जहॉ उसके परिवार के नाम पर चल अचल संपत्ति अवस्थित है, जहॉ से कही अन्यत्र फरार होने की संभावना नही है । आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा समक्ष अधिरोपित शर्तो का पालन करने हेतु वचनबद्ध है, तथा रिहा किये जाने पर वह प्रत्येक पेशी में उपस्थित होगा तथा अभियोजन साक्षियों को किसी प्रकार से प्रभावित या प्रलोभित नही करेगा

(4) आवेदक/अभियुक्त की ओर से आगे निवेदन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 483 बीएनएसएस. का प्रथम जमानत आवेदन पत्र है, इसके अतिरिक्त उक्त आशय का कोई भी जमानत आवेदन पत्र किसी भी सक्षम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. के समक्ष न ही पेश किया गया है,न लंबित है और न ही निराकृत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से अपने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी मां देवकी रात्रे का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है । अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रथम जमानत हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को स्वीकार किये जाने की कृपा की जावे।

(5) अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त की ओर से किये गये निवेदन का विरोध करते हुये यह निवेदन किया गया है कि अभियुक्त पर जिन अपराधों को किये जाने का आरोप है वह गंभीर प्रकृति का अपराध है। यदि अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है तो उसके द्वारा पुनः इसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति किए जाने तथा साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना है। अभियुक्त के विरूद्ध कई अपराध दर्ज है, अभियुक्त आदतन अपराधी है । अतः अभियुक्त की ओर से पेश आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 निरस्त किये जाने की कृपा की जावे।

(6) आरोपी के विरूद्ध थाना पामगढ़ के अपराध क्रमांक 41/2026 से उद्भूत एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 92/2026 पक्षकार छ.ग. राज्य विरूद्ध निखिल टंडन व 7 अन्य अपराध अंतर्गत धारा 351(3)(चार बार) तथा 311 सहपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 लंबित है जिस पर आरोपी पर यह आरोप है कि उसके द्वारा दिनांक 27.01.2026 को लगभग 22.50 बजे ग्राम बारगांव थाना पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा में शिरोमणी के घर के सामने खाली मैदान में अन्य सहआरोपी निखिल टंडन, मनीराम गोंड़, रोशन टंडन, नरेश यादव, संजीव कोसरिया, शनि गोंड़ एवं अन्य दो विधि का उल्लंघन करने वाले अभिथित बालकों के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में प्रार्थी शुभम यादव, संजीव कुर्रे, सुखनंदन कश्यप एवं आशीष वानी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया और सहअभियुक्तगण के

साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में प्रार्थी शुभम यादव, संजीव कुर्रे, सुखनंदन कश्यप एवं आशीष वानी को लोहे के रॉड से मारकर हत्या या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती कारित किया ।

(7) थाना पामगढ़ के अपराध क्रमांक 45/2026 से उद्भूत एवं इस न्यायालय में लंबित सत्र प्रकरण क्रमांक 93/2026 पक्षकार छ.ग. राज्य विरुध्द निखिल टंडन एवं 07 अन्य के मूल अभिलेख का अवलोकन उपर्युक्त आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य में किया गया जिससे यह दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्त आयुष रात्रे के विरुध्द भारतीय न्याय संहिता 2023 की 311 सहपठित धारा 3(5) के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने का यह आरोप है कि उनके द्वारा दिनांक 27.01.2026 को लगभग 21.40 बजे मेन रोड मधुकर पेट्रोल पंप के आगे ग्राम चेऊडीह जिला जांजगीर–चांपा में सहआरोपी निखिल टण्डन, मनीराम गोंड़, रोशन टण्डन, नरेश यादव, संजीव कोसरिया, शनी गोंड़, रामनाथ गोंड़ एवं अन्य दो विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में लक्ष्मण यादव की हत्या या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती कारित किया।

(8) आरोपी के विरूद्ध थाना पामगढ़ के अपराध क्रमांक 40/2026 से उद्भुत सत्र प्रकरण क्रमांक 91/2026 पक्षकार छ.ग. राज्य विरूद्ध निखिल टंडन व 7 अन्य अपराध अंतर्गत धारा 351(3)(दो बार) सहपठित धारा 3(5), 311 (दो बार) सहपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 लंबित है जिस पर आरोपी पर यह आरोप है कि उसके द्वारा दिनांक 27.01.2026 को रात्रि 10.15 बजे जोगिया नाला पुल के पास ग्राम डुड़गा थाना

पामगढ़ जिला जांजगीर–चांपा में सहआरोपी निखिल टण्डन, मनीराम गोंड़, रोशन टण्डन, नरेश यादव, संजीव कोसरिया, शनी गोंड़, रामनाथ गोंड़ एवं अन्य दो विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में कैलाशदास मानिकपुरी एवं बसंतदास मानिकपुरी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया और कैलाशदास मानिकपुरी एवं बसंतदास मानिकपुरी को लोहे के पाईप से मारकर हत्या या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती कारित किया।

(9) आरोपी के विरूद्ध थाना शिवरीनारायण के अपराध क्रमांक 46/2026 से उद्भुत एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 90/2026 पक्षकार छ.ग. राज्य विरूद्ध निखिल टंडन व 7 अन्य अपराध अंतर्गत धारा 311 (दो बार) सहपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 लंबित है जिस पर आरोपी पर यह आरोप है कि उसके द्वारा दिनांक 29.01.2026 को 21.00 से 21.30 बजे के बीच नहर पार कच्चा रास्ता हुहीखार ग्राम कचंदा थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर–चांपा में सहआरोपी निखिल टण्डन, मनीराम गोंड़, रोशन टण्डन, नरेश यादव, संजीव कोसरिया, शनी गोंड़, रामनाथ गोंड़ एवं अन्य दो विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मुकेश रायसागर एवं अनिकेत रायसागर की हत्या या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती कारित किया ।

(10) आरोपी के विरूद्ध थाना शिवरीनारायण के अपराध क्रमांक 44/2026 से उद्भुत एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 89/2026 पक्षकार छ.ग. राज्य विरूद्ध निखिल टंडन व 7 अन्य अपराध

अंतर्गत धारा 351(3)(दो बार), 103(1) सहपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 लंबित है जिस पर आरोपी पर यह आरोप है कि उसके द्वारा दिनांक 29.01.2026 को 21.00 से 21.30 बजे के बीच नहर पार कच्चा रास्ता ग्राम कचंदा थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर–चांपा में सहआरोपी निखिल टण्डन, मनीराम गोंड़, रोशन टण्डन, नरेश यादव, संजीव कोसरिया, शनी गोंड़, रामनाथ गोंड़ एवं अन्य दो विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में प्रशांत कुमार कश्यप एवं दीपक कुमार कश्यप को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया और दीपक कुमार कश्यप की हत्या या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती कारित किया और प्रशांत कुमार कश्यप को रॉड एवं डंडे से उस पर प्राण घातक वार कर उसकी हत्या कारित किया ।

(11) आरोपी के द्वारा कारित अपराध की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। **अतः आरोपी आयुष रात्रे की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को निरस्त किया जाता है।**

(12) इस आदेश की एक प्रतिलिपि इस न्यायालय में लंबित सत्र प्रकरण क्रमांक 92/2026 के साथ संलग्न रखा जावे तथा एक प्रतिलिपि जेल अधीक्षक, जिला जेल जांजगीर की ओर सूचनार्थ प्रेषित किया जावे, साथ ही ई–मेल के माध्यम से भी उन्हें प्रेषित किया जावे।

GANESH RAM PATEL Digitally signed by GANESH RAM PATEL Date: 2026.08.21 17:40:46 +0530

(गणेश राम पटेल)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर,
जिला जांजगीर–चांपा(छ.ग.)